



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.: H19276/C-3/NGT. 379124

Date: 10/6/24

To,
The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.: ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 23.04.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL IN M.A. NO. 45/2024 IN O.A. NO. 715/2023 (IA NO. 177/2024) IN THE MATTER OF MOHD. MUSTAKEEM VERSUS MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE & ORS.

Sir,

That in compliance of the order dated 23.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in M.A. No. 45/2024 IN O.A. No. 715/2023 (IA No. 177/2024) in the matter of Mohd. Mustakeem versus Ministry of Environment, Forests and Climate Change & Ors., the Action Taken Report is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may place before the Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

Yours Sincerely

Atulesh Yadav
(Atulesh Yadav)
Chief Environment Officer
Circle-3

Copy to:

1. Member Secretary, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Chief Law Officer, U. P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Regional Officer, Muzaffarnagar, U. P. Pollution Control Board, for information.
4. Shri Amit Shukla, Advocate, N.G.T., New Delhi for perusal and necessary action please.

Chief Environment Officer
Circle-3

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. No. 45/2024

In

OA No. 715/2023 (IA No. 177/2024)

In the Matter of:

Mohd. Mustakeem


Versus

Ministry of Environment, Forests and Climate Change & Ors.

Index

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Action Taken Report in compliance of Order dated 23.04.2024 passed by Hon'ble NGT in M.A. No. 45/2024 in OA No. 715/2023 2023 (IA No. 177/2024) In Re: Mohd. Mustakeem Versus Ministry of Environment, Forests and Climate Change & Ors.	
2.	Annexure-1 , Show Cause Notice	
3.	Annexure-2 , Closure Direction	
4.	Annexure- 3 , Compliance of Sealing	

Yours' Sincerely


(Atulesh Yadav)

Chief Environment Officer (Circle-3)
U. P. Pollution Control Board

ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 23.04.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL IN M.A. NO. 45/2024 IN OA NO. 715/2023 (IA NO. 177/2024) IN THE MATTER OF MOHD. MUSTAKEEM VERSUS MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE & ORS.

The Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 23.04.2024 in M.A. No. 45/2024 in OA No. 715/2023 (IA No. 177/2024), Mohd. Mustakeem versus Ministry of Environment, Forests and Climate Change & Ors., has passed the following directions:-

"1. This MA has been filed by the Applicant seeking a direction to Respondent No. 4, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) to take appropriate action against the project proponent – M/s. Al Noor Exports operational in Village Shernagar, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh in terms of the order of the Tribunal dated 06.12.2023 passed in OA No. 715/2023.

2. In the OA No. 715/2023, Applicant had raised the grievance that the project proponent was operating the slaughter house in the village in violation of the norms and that inspite of representation, no action was taken by the authorities.

3. The OA was disposed of by the Tribunal by order dated 06.12.2023 directing the Chairman, UPPCB to duly consider the grievance of the Applicant and take appropriate remedial action in accordance with law and complete the exercise within a period of three months and submit action taken report before the Registrar General of the Tribunal.

4. Submission of learned Counsel for the Applicant is that after the order of Tribunal, UPPCB has only issued the show cause notice dated 14.02.2022 to the project proponent but, thereafter, no action has been taken. In terms of direction of the Tribunal, action taken report has not been submitted by the Chairman, UPPCB though three months period has already expired.

5. Issue notice to Respondent No. 4 (UPPCB) in the OA. Applicant is directed to serve the said respondent and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

6. List on 30.07.2024."

Atul Singh Yadav

The Action Taken Report is as follows;

1. That in compliance to the order dated 06.12.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal and in pursuance to the complaint made by the complainant the inspection of the M/s Al-Noor Exports, Jansath Road, District-Muzaffarnagar, hereinafter referred as unit, has been conducted on 14.12.2023 and found several discrepancies wherefore a show cause notice to the unit has been issued on 14.02.2024 under Section 33-A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 in accordance to the recommendations made by the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, hereinafter referred as UPPCB. The copy of the Show Cause Notice is annexed herewith as **Annexure No.-1** to this report.

2. That as per latest inspection conducted by UPPCB on 23.03.2024, the unit was found non-compliant on several points such as status regarding installation/connection of OCEMMS, Conversion of DG sets/installation of RECD and compliance of 24 compendiums. The Status regarding installation/connection of OCEMMS, Conversion of DG sets/installation of RECD and compliance of 24 compendium is as follows:-

Sl. No.	Particulars	Status as per inspection dated 23.03.2024
1.	Status of installation and connection of OCEMS to the server of CPCB/UPPCB	OCEMS installed by not connected to the server of CPCB and UPPCB
2.	Conversion of DG sets into dual fuel/Installation of RECD	Neither converted to Dual fuel nor RECD installed

Atul yadav

3.	Compliance of 24 compendium Pints for Slaughter House Units	Unit has not submitted the compliance report of 24 point Compendium for Slaughter House Units
----	---	---

3. That, in view to above non compliances the UPPCB on 24.05.2024 has issued a direction for closure against the unit under Section 33-A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and also imposed an Environmental Compensation amounting Rs. 23,60,000/- (Rs. Twenty Three Lakhs Sixty Thousand only). The direction for closure is enclosed herewith as **Annexure No.-2** to this report.
4. That in pursuance to the direction for closure dated 24.05.2024, contained above, the unit i.e. M/s Al-Noor Exports, Jansath Road, Muzaffarnagar was sealed by the District Administration and UPPCB on 28.05.2024. The compliance of sealing is enclosed herewith as **Annexure No.-3** to this report.

Therefore, an Action taken report is being submitted before this Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Atulesh Yadav
(Atulesh Yadav)

Chief Environment Officer (Circle-3)
U. P. Pollution Control Board



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

14/02/2024
Annexure-1

संदर्भ संख्या: H06923 सी-3/जल.स.न. / 2024

दिनांक: 14/2/24

समाप्त

पंजीकृत

मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स,
जानसठ रोड,

जनपद-मुजफ्फरनगर। (8999954042)

यह कि मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर जोकि भैंस/भैसा की स्लाटरिंग कर फ्रोजन मीट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित Original Application No.715/2023 (I.A. No. 842/2023 & I.A. No. 843/2023) Mohd. Mustakeen Versus Ministry of Environment, Forests and Climate Change & Ors. में पारित आदेश दिनांक 06.12.2023 एवं उद्योग के विरुद्ध मौ0 मुस्तकीम पुत्र श्री फरजन्दा निवासी-618, चरथावल रुरल, जनपद-मुजफ्फरनगर से प्राप्त शिकायती पत्र के क्रम में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.12.2023 को किया गया एवं पाया गया कि उद्योग में सहमति शर्त 04, 13 एवं 26 का अक्षरशः अनुपालन होता नहीं पाया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. उद्योग के ई0टी0पी0 पर स्थापित Online Continuous Effluent Monitoring System एवं ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी पर स्थापित Online Continuous Emission Monitoring System (OCEMMS) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से लिंक नहीं पाया गया।
2. उद्योग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उद्योग में स्थापित 03 डी0जी0 सेट जिनकी क्षमता क्रमशः 1680 के0वी0ए0, 1270 के0वी0ए0 एवं 850 के0वी0ए0 पर RECDs तथा Dual fuel system स्थापित नहीं पाया गया जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।
3. उद्योग द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट/प्रपत्र प्रेषित नहीं किया गया है।
 - A. Environment Statement in Form-V.
 - B. Quarterly compliance report of the CCA.
 - C. Hazardous effluent/hazardous waste sample for laboratory testing.
 - D. Report on 24 Compendium Point for Slaughter House Units to the Board.

इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2027 तक सहमति निर्गत है। जिसकी शर्तों का उल्लंघन होता पाया गया।

अतएवं जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संतानन रोक जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए संपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर को बोर्ड के पत्र दिनांक 30.12.2022 द्वारा निर्गत सहमति को निलम्बित (Suspend) कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रमाण से बन्द कर दिया जाए।
3. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि मै0 अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर को मिलने वाली विजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रमाण से बन्द कर दिया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजी के अनुसार अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, जनपद-मुजफ्फरनगर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के निरीक्षण दिनांक 14.12.2023 से पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए PI-80, N-01, R-250, S-1.5, LF-1 लेते हुए रु0 30,000/- प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की संपठित धारा 27(2) धारा 33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जायेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त 3)

(2)

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिवीजन-1, 2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में इकाई का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

o/c V S D



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

24/05/2024

Annexure-2

संदर्भ संख्या: H/11429/सी-3/जल-557/2024

दिनांक: 24-5-2024

सेवा में,

पंजीकृत

मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स,
जानसठ रोड,
मुजफ्फरनगर।

यह कि मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर जोकि भैंस/भैंसा की स्लाटरिंग कर फोजन मीट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 715/2023 मो0 मुस्तकीम बनाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2023 के अनुपालन में तथा उद्योग के विरुद्ध मो0 मुस्तकीम पुत्र श्री फरजंदा निवासी-618 चरथावल रूरल जनपद मुजफ्फरनगर से प्राप्त शिकायत के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.12.2023 में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र संख्या H06923/सी-3/जल-557/मु0नगर/2024 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 के अनुक्रम में अपने पत्र दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से अपना प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया है। जिसमें कहा गया है कि बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण पायी गयी कमियों के उपरान्त उक्त सभी कमियों को दूर करने का हमने सभी प्रयास शुरू कर दिया है। ई.टी.पी पर स्थापित ओ.सी.एम.एस में एम.यू.वी.एक्स कार्ड खराब था जिसे हमने नया परचेज कर लिया अब यह कार्य कर रहा है। ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी पर स्थापित ओ.सी.ई.एम.एस को भी रिपेयर करा दिया गया है और अब यह भी कार्य कर रहा है। प्लांट में स्थापित डी.जी.सेट में हम बायो डीजल यूज करते हैं। अपने प्रत्यावेदन के साथ इकाई द्वारा निम्न दस्तावेज संलग्न किया गया है।

(A). Environment statement in form-V,

(B). Quarterly Compliance report of the CCA

(C) Hazardous Effluent/Hazardous waste sample for laboratory testing.

उद्योग को प्रेषित कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 के अनुक्रम में इकाई द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उद्योग में स्थापित 03 डी.जी. सेट जिनकी क्षमता क्रमशः 1680 केवीए एवं 1270 केवीए एवं 850 केवीए पर RECDs तथा Dual fuel system स्थापित किये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त Report on 24 compendium point for slaughter house units to the board- की भी सूचना प्रत्यावेदन में नहीं दी गयी है।

अग्रेतर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 540/2023 निरामया जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 12.09.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन, यू0पी0 ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेन्ट एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 04.01.2024 को किया गया तथा जल नमूने एकत्रित किये गये, जिनका विश्लेषण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली की प्रयोगशाला द्वारा किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई आख्या के अनुसार उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट से लिये गये जल नमूने में प्रचालक BOD = 55 mg/l पायी गयी, जो कि मानकों से अधिक है। संयुक्त समिति द्वारा उद्योग के विरुद्ध निम्नवत् संस्तुतियां की गयी हैं :-

- 1- Unit shall operate ETP properly so as to comply with discharge norms.
- 2- Unit shall get repaired at the earliest; the OCEMS installed at ETP outlet and ensure 24x7 connectivity with CPCB/UPPCB servers for continuous monitoring.
- 3- Unit shall maintain log-book of carcass waste, bones and boiler ash generation on daily basis.
- 4- Unit shall install separate flow meters and maintain log-books for water consumption in Process, boiler and domestic.
- 5- Unit shall implement Public Liability Insurance (PLI) provisions as per the law.

उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 के क्रम में उद्योग द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर में दिये गये तथ्यों के भौतिक सत्यापन हेतु उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि को राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 की प्रति उपलब्ध करायी गयी।

क्रमशः 2

निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के सतत् अनुश्रवण हेतु स्थापित OCEMS की मरम्मत का कार्य प्रगति पर पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार जल नमूने में प्रचालक BOD=48 mg/l, COD=328 mg/l एवं TSS=76 mg/l पायी गयी, जो कि बोर्ड मानकों से अधिक है। पशुबधशाला इकाई के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की "Revised comprehensive Industry documentation of Slaughter House" का एवं 24 कम्पेडियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं इकाई के विरुद्ध जन शिकायत प्राप्त है। इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2027 तक सहमति निर्गत है। जिसकी शर्तों का उल्लंघन होता पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 04.03.2024 द्वारा उद्योग के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन 27.02.2024 में उल्लिखित तथ्यों की सत्यापन आख्या एवं उद्योग के पूर्व निरीक्षण दिनांक 04.01.2024 में पायी गयी कमियों के संबंध में उद्योग से पुनः स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी मुजफ्फरनगर को बोर्ड के पत्र दिनांक 21.03.2024 द्वारा समस्त तथ्यों का उल्लेख समहित करते हुए आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। तत्कम में उद्योग का पुनः निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति निम्नवत् पायी गयी।

क्र. सं	कारण बताओ नोटिस में दिये गये निर्देश	उद्योगी द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 27.02.2024 में दिये गये तथ्य	निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 में पाये गये तथ्य
1.	उद्योग के ई0टी0पी0 पर स्थापित Online Continuous Effluent Monitoring System एवं ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी पर स्थापित Online Continuous Emission Monitoring System (OCEMMS) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से लिंक नहीं पाया गया।	ई0टी0पी0 पर स्थापित Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) का MUVX Card खराब था, जिसे हमने नया Purchase कर लिया है और अब यह कार्य कर रहा है। ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी पर स्थापित OCEMS को भी रिपेयर करा दिया गया है और यह भी अब कार्य कर रहा है।	उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2024 के क्रम में कार्यालय द्वारा दिनांक 29.02.2024 को किये गये निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के सतत् अनुश्रवण हेतु स्थापित OCEMS की मरम्मत का कार्य प्रगति पर पाया गया था। पुनः निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 में OCEMS संचालित पाया गया, परन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से सम्बद्ध नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी पर स्थापित Online Continuous Emission Monitoring System केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से सम्बद्ध करा दिया गया है।
2.	उद्योग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणता प्रबन्धन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उद्योग में स्थापित 03 डी0जी0 सैट, जिनकी क्षमता क्रमशः 1680 केवीए, 1270 केवीए एवं 850 केवीए पर RECDs तथा Dual fuel system स्थापित नहीं पाया गया, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणता प्रबन्धन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन है।	प्लांट में स्थापित डी0जी0 सैट्स में हम बायो डीजल use करते हैं।	उद्योग में स्थापित 03 डी0जी0 सैट्स पर वर्तमान निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 तक RECDs तथा Dual fuel system स्थापित नहीं पाया गया।

<p>3. उद्योग द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट/प्रपत्र प्रेषित नहीं किया गया है :-</p> <p>A. Environment Statement in Form-V.</p> <p>B. Quarterly compliance report of the CCA.</p> <p>C. Hazardous effluent/hazardous waste samples for laboratory testing.</p> <p>D. Report on 24 Compendium Point for Slaughter Houe Units to the Board.</p>	<p>A. Environmental Statement संलग्न है।</p> <p>B. Quarterly Compliance Report संलग्न है।</p> <p>C. Hazardous effluent/hazardous waste samples संलग्न है।</p> <p>D. ----</p>	<p>A. उद्योग द्वारा Environmental Statement प्रत्यावेदन दिनांक 27.02.2024 के साथ संलग्न किया गया है।</p> <p>B. उद्योग द्वारा Quarterly Compliance report of CCA के अन्तर्गत जल नमूनों की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करायी गयी विश्लेषण आख्यायें प्रेषित की गयी हैं।</p> <p>C. Hazardous effluent/hazardous waste samples के अन्तर्गत ETP Sludge की रिपोर्ट मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर प्रेषित की गयी हैं।</p> <p>D. उद्योग द्वारा 24 Compendium Points पर आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।</p>
---	--	--

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 540/2023 निरामया जन उत्थान संस्थान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग के विरुद्ध की गयी संस्तुतियों के संबंध में उद्योग के निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 के दौरान उद्योग से अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश के क्रम में उद्योग द्वारा अपना प्रतिउत्तर ई-मेल के माध्यम से दिनांक 22.04.2024 एवं 04.05.2024 को प्रेषित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

दिनांक 22.04.2024 को प्रेषित अनुपालन आख्या

1. These parameters are kept in mind -
 - a. Regular Monitoring
 - b. Proper Maintenance
 - c. Efficient Treatment Process
 - d. Chemical Management
 - e. Optimized Operation
 - f. Compliance Documentation
 - g. Training and Awareness
 - h. Continuous Improvement
2. The unit has been repaired; OCEEMS has been installed at the ETP outlet has been established for continuous monitoring.
3. Log books of carcass waste, bones and boiler ash generation are maintained daily. Copy attached
4. The work of separate flow meters for process, boiler and domestic water consumption has been started. Log book will be submitted to you soon after installation
5. Public liability insurance provision as per law is under process.

उद्योग के निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 के दौरान उद्योग के उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से जल नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या में समस्त प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया है। परन्तु उपरोक्त तालिका के निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 में पाये गये तथ्य के क्रम संख्या 01 में वर्णित है कि निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के सतत् अनुश्रवण हेतु स्थापित OCEEMS संचालित पाया गया, परन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से सम्बद्ध नहीं पाया गया। क्रम संख्या 02 में वर्णित है कि उद्योग में स्थापित 03 डी0जी0 सैट्स पर वर्तमान निरीक्षण दिनांक 23.03.2024 तक RECDs तथा Dual fuel system स्थापित नहीं पाया गया। क्रम संख्या 03 में वर्णित है कि उद्योग द्वारा 24 Compendium Points पर आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाये।

अतः जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के पत्र संख्या H06923/सी-3/जल-557/मु0नगर/2024 दिनांक 14.02.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर को बोर्ड के पत्र दिनांक 30.12.2022 द्वारा निर्गत सहमति को निलम्बित (Suspend) किया जाता है।
2. यह कि उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
3. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर को मिलने वाली विजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

इसके अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के निरीक्षण दिनांक 14.12.2023 से दिनांक 29.02.2024 की अवधि तक उल्लंघनकारी दिवस मानते हुए रू0 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल 78 दिवसों हेतु कुल रू0 23,60,000/- (तेइस लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104, आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN0570150 में 15 के अन्दर जमा करें। अन्यथा की दशा में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भौति वसूली कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

Atul Singh Yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0 1/2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मै0 अलनूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर की बन्दी सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

Atul Singh Yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

o/c



135
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

Annexure - 3

संदर्भ सं० 201/CA-58/MZR/2024
Ref. No.

दिनांक 28-5-2024
Dated

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय:- उद्योग मै० अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच11429/सी-3/जल-557/2024 दिनांक 24.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग मै० अल-नूर एक्सपोर्ट्स, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। तत्क्रम में दिनांक 28.05.2024 को जिला प्रशासन एवं इस कार्यालय की टीम द्वारा उक्त उद्योग की संचालन प्रक्रिया को अवरुद्ध किये जाने के उद्देश्य से उद्योग में स्थापित एनीमल एन्ट्रेन्स गेट, लिफ्ट कन्ट्रोलिंग पैन एवं ब्वायलर के मेन फ्यूल फीडिंग सैक्शन को सील कर उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द करा दिया गया है।

बन्दी अनुपालन आख्या की प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी


प्रतिलिपि-जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या - H/1429/सी-39/जल 557/2024 दिनांक - 24/05/2024 के द्वारा मै० अलनूर एक्सपोर्ट्स, 9 वां डिमी० जानसठ रोड, जिला- मुजफ्फरनगर के विरुद्ध वन्दी आदेश जारी किया गया है जिसके अनुपालन हेतु आज दिनांक - 28/05/24 को नगर मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर एवं उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर की टीम द्वारा उद्योग की समस्त इकाइयों की संचालन प्रक्रिया को अवरुद्ध किये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित इकाइयों को सील कर दिया गया है।

- ① एनिमल एन्ट्रेन्स गेट
- ② लिफ्ट कन्ट्रोलिंग पैनल
- ③ वायलर


उद्योग की इकाइयों के सीलिंग के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में मनसूर महमद (उद्योग इंचार्ज) उपस्थित रहे।


28/05/24
दिवाकर देव गहलोत
जे० आर० एफ०
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, मु० न०


28/05/24
इमरान अली
सहा० पर्या० अभियंता
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, मु० न०


विकास कश्यप
नगर मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर

उद्योग प्रतिनिधि :-


For AL-NOOR
28/5/24
Auth. Sign.